पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 187/2024 **दिनांक- 14.06.2024**

प्रेस विज्ञप्ति

थाना – अहरौला

दुष्कर्म करने का आरोपी बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व का विवरण-

दिनांक 09.06.2024 को वादी मुकदमा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना अहरौला पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी 1.रमेश पुत्र रामप्रसाद 2. अज्ञात पत्नी रमेश 3. रमेश की माता पत्नी अज्ञात 4. दिनेश पुत्र टिल्ठऊ (बाबूराम) निवासीगण कोर्राघाटमपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व 01 बाल अपचारी द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी की लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया तथा वादी के द्वारा उलाहना देने जब विपक्षी के घर जाया गया तो विपक्षियों द्वारा मारना पीटना तथा गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 278/24 धारा- 323/504/506/452/376/34 भादवि बनाम 05 नफर पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 14.06.2024 को व0उ0नि0 कुलदीप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 बाल अपचारी को माहुल तिराहे के पास से समय करीब 10.35 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा मा0 न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद बाल अपचारी मऊ भेजा गया।

थाना- फूलपुर

दुष्कर्म का अश्लील वीडियों प्रसारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 12.06.2024 को मुकदमा वादिनी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ ने थाना फूलपुर पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी अरूण कुमार भारती पुत्र नागेन्द्र उर्फ नगीना साकिन ढढनी थाना तहबरपुर जनपद आजगमढ़ द्वारा वादिनी की लड़की उम्र करीब 19 वर्ष से फोन से बात करके बहला फुसलाकर अपनी बहन के घर ग्राम गहनी खुर्द थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ ले गया और शारीरीक सम्बन्ध बनाकर अश्लील वीडियों बनाया तथा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है, के सम्बन्ध में थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 314/24 धारा 376/120 बी भादवि व 67ए आईटी एक्ट बनाम अरूण कुमार भारती पुत्र नागेन्द्र उर्फ नगीना साकिन ढढनी थाना तहबरपुर जनपद आजगमढ़ आदि के पंजीकृत है। जिसकी विवेचना प्र0नि0 शशीचन्द चौधरी द्वारा की रही है।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 14.06.2024 को प्रभारी निरीक्षक महोदय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अरूण कुमार भारती पुत्र नागेन्द्र उर्फ नगीना साकिन ढढनी थाना तहबरपुर जनपद आजगमढ़ को लाहीडीह पुलिया फूलपुर से समय करीब 06.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा न्यायिक अभिरक्षा जिलाकारागार भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 314/24 धारा 376/120 बी भादवि व 67ए आईटी थाना फूलपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. सोनू अरूण कुमार भारती पुत्र नागेन्द्र उर्फ नगीना साकिन ढढनी थाना तहबरपुर जनपद आजगमढ़ उम्र करीब 18 वर्ष

बरामदगी का विवरण:

1-एक अदद मोबाइल इनफिनिक्स

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1- प्र0नि0 शशीचन्द चौधरी थाना फूलपुर आजमगढ़
2- का0 आदेश कुमार यादव थाना फूलपुर आजमगढ़
3- का0 ओमप्रकाश पटेल थाना फूलपुर आजमगढ़
4- म0का0 सपना तिवारी थाना फूलपुर आजमगढ़

थाना गम्भीरपुर

अपहरण के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.06.2024 को आवेदक थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ ने थाना गम्भीरपुर पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी शिवम कुमार उर्फ डनडन पुत्र सुखई निवासी शेखवलिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी मुकदमा की पोती को दिनांक 12.06.2024 को बहला फुसलाकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.स.217/2024 धारा 363,366 भादवि बनाम शिवम उपरोक्त के पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 राकेश चन्द त्रिपाठी द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दि0-14.06.2024 को उ0नि0 राकेश चन्द त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शिवम कुमार उर्फ डनडन पुत्र सुखई निवासी शेखवलिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को रेलवे स्टेशन शाहगंज जनपद जौनपुर में चाय की दुकान से समय 7.20 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग /अपराधिक इतिहास

1- मु0अ0स0 217/2024 धारा 363/366 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

1-शिवम कुमार उर्फ डनडन पुत्र सुखई निवासी शेखवलिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1.उ0नि0 राकेश चन्द त्रिपाठी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

2.का0 नितेश यादव थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

थाना जहानागंज

जहानागंज क्षेत्रान्तर्गत बैंक मित्र से लूट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, लूट के 1500 रूपयें के साथ 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना-

दिनांक 02.06.2024 को वादी मुकदमा प्रशान्त पाण्डेय उर्फ राकू S/O स्व0 दुर्गा प्रसाद पाण्डेय ग्राम बहवल थाना मेहनगर आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सिंहपुर में बैंक मित्र है जिसकी चक्रपानपुर बाजार में निधी पुस्तक भण्डार के नाम से दुकान है। वादी अपनी दुकान बन्द करके एकौना - हैदराबाद (सिसवा) रोड से घर जा रहा था कि कब्रिस्तान के पास तीन लड़को ने रोका और असलहा सटाकर मोबाइल, गाड़ी की चाभी व बैग छिन लिये जिसमें करीब 03 लाख रूपये नकद, 02 डिवाइस मशीन, 01 ए.टी.एम. डिवाइस रजिस्टर, ड्रेस और बैंक के कुछ कागजात थे। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.- 270/2024 धारा 392 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना निरीक्षक अपराध सुरेन्द्र कुमार दूबे द्वारा की जा रही है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 13.06.2024 को मुकदमा उपरोक्त विवेचना से प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों 1-विशाल यादव पुत्र राजदेव यादव निवासी सिसवां बछवल थाना मेंहनगर आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष, 2-आकाश शर्मा उर्फ आर्यन पुत्र प्रहलाद शर्मा निवासी चौबेपुर मटियवना थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 14.06.2024 को निरीक्षक अपराध सुरेन्द्र कुमार दूबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित एक अभियुक्त धनन्जय गिरी उर्फ बाबा पुत्र स्व0 रामकिशुन गिरी निवासी बछवल थाना मेहनगर आजमगढ़ उम्र करीब 26 को सुम्भी मार्केट से गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी को लूट के 1500 रूपये के साथ समय सुबह 10.00 बजे सुम्भी बाजार से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु.अ.स. 270/24 धारा 395/412/120बी भादवि थाना जहानागंज आजमगढ

गिरफ्तारी अभियुक्त-

1- धनन्जय गिरी उर्फ बाबा पुत्र स्व0 रामकिशुन गिरी निवासी बछवल थाना मेहनगर आजमगढ़ उम्र करीब 26।

2- 01 बाल अपचारी

आपराधिक इतिहास-

1-मु.अ.स. 270/24 धारा 395/412/120बी भादवि थाना जहानागंज आजमगढ

बरामदगी- बाल अपचारी के पास से लूट का 1500/- रुपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- निरीक्षक अपराध सुरेन्द्र कुमार दूबे थाना जहानागंज आजमगढ़

2- हे.का. विपिन कुमार सिंह थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

3- का. शिवम चौधरी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

थाना अतरौलिया

दहेज हत्या में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण –

दिनांक- 17.05.2024 को वादी विक्रांत जयसवाल पुत्र काशीनाथ जयसवाल कस्बा कोपागंज थाना कोपागंज जनपद मऊ ने थाना अतरौलिया पर लिखित तहरीर दिया कि वादी की बहन ट्विंकल शादी दिनांक 22.01.2024 को आकाश जयसवाल पुत्र राजेश जयसवाल निवासी कस्बा अतरौलिया के साथ होना तथा दहेज कम मिलने की बात को लेकर वादी की बहन ट्विंकल को दहेज के लिए प्रताणित करने तथा दिनांक 16.05.24 को वादी की बहन को दहेज को लेकर उसके पति आकाश जयसवाल, सास मालती देवी व ससुर राजेश जयसवाल निवासीगण कस्बा अतरौलिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा हत्या कर दी गयी, के सम्बन्ध में थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 177/24 धारा 498A,304B भादवि व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 03 नफर पंजीकृत किया गया विवेचना हेतु क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर किरन पाल सिंह को सुपुर्द किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 14.06.24 को उ0नि0 अजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजेश जयसवाल पुत्र स्व0 लालचन्द जयसवाल उम्र 62 वर्ष व अभियुक्ता मालती जयसवाल पत्नी राजेश जयसवाल उम्र 58 वर्ष निवासीगण सदर बाजार क़स्बा अतरौलिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को बस स्टैण्ड अतरौलिया से समय 08.15 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 177/24 धारा- 498A/304B IPC व ¾ DP एक्ट थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता –

1. राजेश जयसवाल पुत्र स्व0 लालचन्द जयसवाल सा0 सदर बाजार क़स्बा अतरौलिया थाना अतरौलिया आजमगढ़ उम्र 62 वर्ष
2. मालती जयसवाल पत्नी राजेश जयसवाल निवासी सदर बाजार क़स्बा अतरौलिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 58 वर्ष

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. उ0नि0 अजय कुमार सिंह मय हमराह का0 मुकेश यादव,म0का0 अभिलाषा द्विवेदी थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

थाना पवई

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 08.06.2024 को वादिनी/पीड़िता थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष ने थाना पवई पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी उमेश यादव पुत्र मुन्नीलाल यादव निवासी ग्राम टड़वा मौलाई थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया है और जब पीड़िता द्वारा शादी करने के लिये कहने पर उमेश यादव द्वारा शादी करने से मना कर दिया गया, वादिनी के माता पिता द्वारा उमेश यादव के घर जाकर शादी की बात करने गये तो उमेश यादव के पिता द्वारा धमकी दी गयी, सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 208/24 धारा 376, 506 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 14.06.2024 को थानाध्यक्ष/विवेचक अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त उमेश यादव पुत्र मुन्नीलाल यादव निवासी ग्राम टड़वा मौलाई थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र करीब 24 वर्ष को मिल्कीपुर अण्डर पास के पास से समय करीब 07.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त का चालान अन्तर्गत धारा 376 भादवि में माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोगः

1- मु0अ0सं0 208/24 धारा 376, 506 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ।

आपराधिक इतिहासः-

1- मु0अ0सं0 208/24 धारा 376, 506 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-उमेश यादव पुत्र मुन्नीलाल यादव निवासी ग्राम टड़वा मौलाई थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1.थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह थाना पवई जनपद आजमगढ

2.हे0का0 इसरार शेख थाना पवई जनपद आजमगढ

3.का0 विकास यादव थाना पवई जनपद आजमगढ

4.का0 अशफाक अंसारी थाना पवई जनपद आजमगढ